निदेशालय, पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 484 /जि0पं0अनु0को0/596/2014–15
देहरादूनः दिनांक 09 मार्च, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या–291/XII(2)/2014/90 (01)/2003 दिनांक 05–10–2014 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में नियमित/मौलिक रूप से नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार कराने की अपेक्षा की गई है। तद्क्रम में निदेशालय के पत्र सं0–406/जि0पं0अनु0को0/596/2014–15 दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड की जिला पंचायतों में मौलिक रूप से नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, प्राप्त मात्र दो आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निस्तारण किया जाता हैः–

1. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 8 पर अंकित श्री पंकज सिंह रावत द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 19–01–2015 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल के पत्र सं0 797/एक–10/ 95–96 दिनांक 19–01–2015 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। श्री रावत द्वारा अपनी आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि उनकी पदोन्नति दिनांक 10–12–1998 को राजस्व निरीक्षक के पद पर हुई है। इस संबंध में कोई प्रमाण/साक्ष्य संलग्न नही है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायें गये सेवा अभिलेखों के अनुसार श्री पंकज सिंह रावत की पदोन्नति अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल के आदेश सं0–840/एक–10/ 95–96 दिनांक 11–12–1998 द्वारा नियमित चयन होने तक स्थानापन्न रूप से राजस्व निरीक्षक के पद पर की गई है तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल के आदेश सं0–529/I–10/95–96 दिनांक 16–04–2001 द्वारा श्री रावत को दिनांक 04.04.2001 से राजस्व निरीक्षक के पद पर स्थाई किया गया है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(1) में किसी वर्ग के पदों पर ज्येष्ठता उस वर्ग के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्ति के दिनांक के अनुसार निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। पूर्व में शासन स्तर से प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची में श्री पंकज सिंह रावत की ज्येष्ठता स्थाईकरण के दिनांक 04.04.2001 से निर्धारित की गई है। अतः श्री पंकज सिंह रावत की आपत्ति स्वीकार्य नही पाई गई।

2. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 3 पर अंकित श्री हरि मोहन द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 20.01.2015 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर के पत्र सं0 4346/स्था0/2014–15 दिनांक 06–02–2015 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। श्री हरि मोहन द्वारा अपनी उक्त आपत्ति में अवगत कराया गया है कि सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद नैनीताल अंकित है जबकि उनका मूल गृह जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश है। साक्ष्य स्वरूप पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित राजस्व/कर निरीक्षकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। अभिलेखों के अनुसार इससे पूर्व शासन स्तर से निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांकित 26–11–2005 में श्री हरि मोहन का नाम नही पाया गया है परन्तु उत्तर प्रदेश के समय की ज्येष्ठता सूची दिनांकित 31–08–2000 में श्री हरि मोहन का नाम क्रमांक–121 पर दर्ज है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड तीन के नियम 81–ख (3)(i) के अनुसार एक बार की गई निवास गृह की घोषणा साधारणतः अन्तिम मानी जायेगी, किन्तु अपवादात्मक परिस्थितियों में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा ऐसी घोषणा में परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है, परन्तु यह कि ऐसा परिवर्तन सरकारी सेवक की सेवा के दौरान एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

क्रमशः..........2

श्री हरिमोहन द्वारा अपनी आपत्ति के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विदित हो कि शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा गृह जनपद परिवर्तन की स्वीकृति दे दी गई है। अतः श्री हरि मोहन का प्रत्यावेदन औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। ऐसे परिवर्तन के आदेश प्राप्त होने पर तदनुसार समावेश किया जा सकेगा।

अतः जिला पंचायतों में कर/राजस्व निरीक्षकों के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 13–01–2015 के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों को सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित करते हुए मौलिक रूप से नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची **संलग्नक 'क'** के अनुसार एतद्द्वारा प्रख्यापित की जाती है।

संलग्नकः– अन्तिम ज्येष्ठता सूची (संलग्नक–"क")।

भवदीय

(हरबंस सिंह चुघ)
निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या 484 /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को अन्तिम ज्येष्ठता सूची की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या–291/XII(2)/2014/90(01)/2003 दिनांक 05–10–2014 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी संबंधित को सूची प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त कर/राजस्व निरीक्षक, द्वारा संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
8. गार्ड फाइल।

निदेशक,
पंचायतीराज, 07
उत्तराखण्ड,देहरादून।

जिला पंचायतों में कार्यरत नियमित नियुक्त कर/राजस्व निरीक्षकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

पत्रांक सं0–484/जि0पं0अनु0को0/596/स्था0/2014–15 दिनांक 09 मार्च, 2015 का संलग्नक "क"।

क0 सं0	कर/राजस्व निरीक्षक का नाम	गृह जनपद	भर्ती का स्रोत	जन्मतिथि	मौलिक नियुक्ति की तिथि	स्थायी/अस्थायी	श्रेणी	धारित पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री रफल सिंह	सहारनपुर	सीधी भर्ती	01.01.1962	05.05.1995	स्थायी	पि0जाति	कर निरीक्षक
2.	श्री कमलेश सिंह बिष्ट	नैनीताल	सीधी भर्ती	08.08.1968	20.07.1996	स्थायी	सामान्य	राजस्व निरीक्षक
3.	श्री हरि मोहन	मेरठ	सीधी भर्ती	01.07.1976	20.07.1996	स्थायी	सामान्य	राजस्व निरीक्षक
4.	श्री हरि दत्त भट्ट	अल्मोड़ा	सीधी भर्ती	01.03.1975	25.10.1999	स्थायी	सामान्य	राजस्व निरीक्षक
5.	श्री विजय कुमार सिंह बिष्ट	नैनीताल	सीधी भर्ती	09.01.1975	28.10.1999	स्थायी	सामान्य	राजस्व निरीक्षक
6.	श्री चन्द्र मोहन	चमोली	पदोन्नति	18.12.1960	01.01.2000	स्थायी	अनु0जाति	कर निरीक्षक
7.	श्री गोविन्द प्रसाद तिवाड़ी	चमोली	पदोन्नति	03.12.1963	09.05.2000	स्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक
8.	श्री पंकज सिंह रावत	लखनऊ	पदोन्नति	07.10.1965	04.04.2001	स्थायी	सामान्य	राजस्व निरीक्षक
9.	श्री सतीश चन्द्र बिजल्वाण	टिहरी	पदोन्नति	25.11.1972	07.08.2006	स्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक
10.	श्री जीवन सिंह अल्मिया	बागेश्वर	पदोन्नति	15.03.1973	21.12.2006	स्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक
11.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार बगवाड़ी	रूद्रप्रयाग	पदोन्नति	10.06.1966	04.01.2009	स्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक
12.	श्री अनिल नेगी	पौड़ी	पदोन्नति	15.06.1978	20.11.2009	अस्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक
13.	श्री विजय पाल सिंह तोमर	देहरादून	पदोन्नति	30.09.1971	05.11.2012	अस्थायी	अनु0 जनजाति	कर निरीक्षक
14.	श्री महादेव प्रसाद बडोनी	पौड़ी	पदोन्नति	08.07.1956	10.01.2013	अस्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक
15.	श्री सुधीर कुमार	नैनीताल	पदोन्नति	22.04.1974	13.03.2013	अस्थायी	सामान्य	राजस्व निरीक्षक
16.	श्री भजन सिंह चौहान	उत्तरकाशी	पदोन्नति	20.12.1957	27.10.2014	अस्थायी	सामान्य	कर निरीक्षक

(भरत सिंह नेगी)
संयुक्त निदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
निदेशालय पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(हरबंस सिंह चुघ)
निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।